

खारेख रिकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

राजस्व ग्राम खुजा पं०मं० 34लाखेजडा भू०अ०नि०वृत्त निचलाखेजडा तहसील-दुन्दर


क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०वि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	2	94 95 96	0.6828 0.2782 0.8599	प्राथी का नाम सगना पुत्र आम्बा हिस्सा 1/5 जाते - गराखिया सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रेकॉर्ड हैं।	प्राथी के दस्तावेजों पर आधार-कार्ड, मतदाता कार्ड में प्राथी का नाम सलाराम पुत्र आम्बा जाते गराखिया क्षेत्र से उम्द खाला स. 2 में प्राथी का नाम सगना पुत्र आम्बा के स्थान पर सलाराम पुत्र आम्बा किया जाना प्रस्तावित है।	


मुताबिक मिसल/जमाबन्दी संवत् _____ के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1958 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के समक्ष श्रयण योग्य है।

साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटयारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।

प०हल्का खुजाखेजडा भू०अ०नि० निचलाखेजडा की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण सम्बन्धित संक्रियाओं के दौरान/पूर्व में होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को सादर प्रेषित है।

प०हल्का 34लाखेजडा भू०अ०नि० निचलाखेजडा राजस्व अधिकारी के रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हाल जमाबन्दी में अमल किया जावे।


ह० पटयारी
पं०मं० 34लाखेजडा दिनांक _____


ह० भू०अ०नि०
वृत्त निचलाखेजडा


ह० राजस्व अधिकारी


उपखण्ड अधिकारी
ह० उपखण्ड अधिकारी
भावपवंत (सिरोही)

दिनांक _____